(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 1545—एक/2004 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 04—10—2004 के द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 02/2004—05

.....

गुलाबराम तनय राम भरोसे
निवासी—ग्राम बरहट तहसील चितरंगी
जिला—सीधी

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

कामतानाथ घर तनय रघुनन्दन घर
निवासी—ग्राम बरहट तहसील चितरंगी
जिला—सीधी(म0प्र0) .....प्रत्यर्थी

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 4/10/2017 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04—10—2004 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी देवसर, जिला—सीधी के प्रकरण क्रमांक 4/अ—74/2001—02 पर पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 30.04.2004 के विरूद्ध आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। आयुक्त ने आदेश दिनांक 04.10.2004 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय

कार्यवाही को उचित मानते हुये अपील अग्राह्य की। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा अधीनस्थ न्यायायलों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आयुक्त रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.04.2004 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपील को ग्राह्यता के स्तर पर अग्राह्य किया है। जबकि आयुक्त को गुण–दोषों के आधार पर आदेश पारित करना चाहिये था । अनुविभागीय अधिकारी ने अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अंतिम आदेश पारित किया था । ऐसी स्थिति में यदि अपीलार्थी द्वारा आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तब आयुक्त को अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत गुण–दोषों के आधार पर आदेश पारित करते हुये प्रत्यावर्तित करना था अथवा स्वयं अपील में दोनों उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर गुण–दोषों के आधार पर आदेश पारित करना चाहिये था, परन्तु आयुक्त द्वारा दिनांक 04.10.2004 को प्रकरण ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत प्रकरण का गुण–दोषों के आधार पर निराकरण करें ।

(एस0एच0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर